भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3462
17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: जैव-उर्वरकों का उत्पादन और उपयोग
3462. श्री अरविंद धर्मापुरी:
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) देश भर में जैव-उर्वरकों और ऑर्गेनिक उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जैव-उर्वरकों और ऑर्गेनिक उर्वरकों की उत्पादन क्षमता, उपयोग दरों और गुणवत्ता मानकों के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े क्या हैं; और
(ग) इस अवधि के दौरान स्थापित गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है उनके लिए कितनी निधियां आबंटित की गई और राज्यों में रिपोर्ट किए गए परीक्षण परिणाम क्या हैं?

उत्तर
<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क): भारत सरकार जैव-उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दे रही है, जो पोषक तत्वों के प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल स्रोत हैं और जैविक खेती और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं।

सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) की योजनाओं के माध्यम से जैव-उर्वरकों और जैविक उर्वरकों का उपयोग करके जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन और फसल-उपरांत प्रबंधन तक के लिए एंड टू एंड सहायता पर जोर देती हैं। प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन इस योजना का अभिन्न अंग हैं।

पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजनाओं के तहत, किसानों को जैविक खाद और जैव उर्वरक सहित ऑन फार्म और ऑफ फार्म जैविक इन्पुट्स के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 3 वर्षों के लिए 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): सरकार न केवल उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देती है बल्कि जैव-उर्वरकों और जैविक उर्वरकों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करती है जिसके लिए इन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) के तहत अधिसूचित किया गया है और उनके गुणवत्ता मानकों को निर्दिष्ट किया गया है जिनका निर्माताओं द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है। उत्पादन क्षमता, उपयोग दरों के आंकड़े संबंधित राज्य द्वारा रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त जैव-उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के उत्पादन के बारे में राज्यवार विवरण **अनुबंध I और II में दिया गया है** ।

(ग): जैव-उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के विश्लेषण के लिए राज्यवार अधिसूचित प्रयोगशालाएँ **अनुबंध- III में दी गई हैं** । राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) की जैव -उर्वरक और जैविक उर्वरक के लिए पाँच-पाँच प्रयोगशालाएँ हैं, जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का

अधीनस्थ कार्यालय है। भारत सरकार से एनसीओएनएफ को आवंटित निधि का उपयोग इन प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए किया जा रहा है, जबकि शेष राज्य प्रयोगशालाएँ संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वित्त पोषित हैं। पिछले 3 वर्षों में केंद्र सरकार की प्रयोगशालाओं ने वर्ष 2021-22 में 142 जैव-उर्वरकों और 294 जैविक उर्वरकों; वर्ष 2022-23 में 206 जैव-उर्वरकों और 272 जैविक उर्वरकों और वर्ष 2023-24 में 200 जैव-उर्वरकों और 221 जैविक उर्वरकों का परीक्षण किया है।

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) में जैव-उर्वरकों के उत्पादन का विवरण

क्र. सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24	
		वाहक)एमटी(	द्रव)केएल(	वाहक)एमटी(	द्रव (केएल(	वाहक (एमटी(	द्रव)केएल(
1	आंध्र प्रदेश	354	63	105	41	92	91
2	कर्नाटक	1511	1368	1457	1692	1687	1787
3	केरल	127	661	57	-	2293	-
4	पुदुचेरी	90	6	90	8	-	-
5	तमिलनाडु	-	1109	133205	1209	2334	1237
6	तेलंगाना	290	105	3453	5195	-	
7	छत्तीसगढ	10	103	374	212	271	132
8	गुजरात	24772	8030	67227	112040	138617	-
9	गोवा	124	-	297	-	-	-
9	मध्य प्रदेश	6585	84200	6636	18340	32011	-
10	महाराष्ट्र	7453	4681	7820	5111	7331	11818
11	राजस्थान	-	-	-	-	24219	3807
12	हरियाणा	99810	108982	61727	1749	10337	1925
13	हिमाचल प्रदेश	120	137	46	34	55	३१
14	जम्मू और कश्मीर	1	3	-	3	-	6
15	पंजाब	3064	86	417	2368	15200	315
16	उत्तर प्रदेश	132	-	22663	-	14869	496
17	उत्तराखंड	3476	567	3447	646	3352	756
18	बिहार	6546	-	1144	867	2816	-
19	झारखंड	-	-	-	-	3	-
20	ओडिशा	13368	201	320	78	-	-
21	पश्चिम बंगाल	703	12	1034	7	-	-
22	असम	525	22582	427	136450	109	22
23	मणिपुर	22	25	-	-	१३	20
24	मेघालय	-	-	-	-	-	3
25	मिजोरम	1	-	-	-	-	-
26	नागालैंड	6	-	-	-	-	-
27	सिक्किम	-	11	-	-	-	-
28	त्रिपुरा	117	2	1388	167	597	103
	कुल योग	1,69,379	2,32,934	3,13,490	1,48,195	2,56,208	86,163

स्रोत: एनसीओएनएफ/राज्य सरकारें

अनुबंध- II

जैविक उर्वरकों के उत्पादन का वर्षवार विवरण (मीट्रिक टन में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
आंध्र प्रदेश	25006	272572	1858652
असम	130704	43773	125812
बिहार	47861	53256	22500
छत्तीसगढ	2166	-	78402
दिल्ली	27657	-	-
गोवा	-	11221	-
गुजरात	390309	278037	257822
हरियाणा	180299	71179	74223
हिमाचल प्रदेश	18	33	4520
जम्मू और कश्मीर	5314508	3250	85240
झारखंड	-	-	32831
कर्नाटक	38089359	2278241	2286649
केरल	38250	13560	-
मध्य प्रदेश	94254	84598	1388205
महाराष्ट्र	231305	237843	343171
मणिपुर	150	-	150
मेघालय	13518	-	-
मिजोरम	58	-	-
नागालैंड	68351	-	-
ओडिशा	37116	14764	-
पंजाब	473	7407	3088335
राजस्थान	18330	50477	52220
तमिलनाडु	60117	231522	2134453
तेलंगाना	27695	28788	-
त्रिपुरा	-	947	1022
उत्तर प्रदेश	139426	74799	802262
उत्तराखंड	6961	7440	10750
पश्चिम बंगाल	6664	6705	-
पुदुचेरी	130	2470	-
लद्दाख	-	-	13681
कुल योग	4,49,50,685	37,72,884	1,26,60,900

स्रोत: एनसीओएनएफ/राज्य सरकारें

अनुबंध- III

जैव-उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के विश्लेषण के लिए अधिसूचित प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	जैव उर्वरक			जैविक उर्वरक		
		राज्य सरकार	केंद्रीय सरकार/आरसीओएफ प्रयोगशाला	कुल	राज्य सरकार	केंद्रीय सरकार/आरसीओएफ प्रयोगशाला	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1	-	1	1	-	1
2	बिहार	1	-	1	1	-	1
3	छत्तीसगढ	1	-	1	1	-	1
4	गुजरात	1	-	1	1	-	1
5	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	1	-	1
6	कर्नाटक	3	1	4	-	1	1
7	केरल	1	-	1	-	-	-
8	महाराष्ट्र	5	1	6	5	1	6
9	मणिपुर	-	1	1	-	1	1
10	ओडिशा	1	1	2	1	1	2
11	राजस्थान	1	-	1	3	-	3
12	तमिलनाडु	1	-	1	2	-	2
13	तेलंगाना	1	-	1	1	-	1
14	उत्तर प्रदेश	4	1	5	4	1	5
15	पश्चिम बंगाल	1	-	1	3	-	3
	कुल	**22**	**5**	**27**	**24**	**5**	**29**

स्रोत: एनसीओएनएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार

*****